

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
प्रार्थी	सर्वश्री आगरा इन्टरलाईनिंग टैक्सटाईल एसोसियेशन, 7 / 114, क्लॉथ मार्केट, संजय प्लेस, आगरा।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	171 / 08, 08.04.2008
प्रार्थी की ओर से	कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आगरा इन्टरलाईनिंग टैक्सटाईल एसोसियेशन, 7 / 114, क्लॉथ मार्केट, संजय प्लेस, आगरा द्वारा दिनांक 08.04.2008 को तार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न 02 प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. नोटिफिकेशन दिनांक 10201 / 2008 के अनुसार सिर्फ “ कॉटन कोटेड फैब्रिक ” ही करयोग्य घोषित है तब “ कोटेड मेन-मेड फैब्रिक ” की स्थिति क्या है। यह करयोग्य है अथवा कर मुक्त? यदि कर योग्य है तो क्यों?

2. “क्या लेमीनेटेड कॉटन फैब्रिक अन्य टैक्सटाईल की भौति करमुक्त रहेगी अथवा करयोग्य है। यदि कर योग्य है तो क्यों? ”

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कोई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 14.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि तार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के भाग-क के क्रमांक-119 में यह प्रविष्टि है कि “ शुगर एवं टैक्सटाईल जो इस अनुसूची एवं अनुसूची-I में अन्यत्र भी निर्दिष्ट नहीं है ”। इसका अर्थ हुआ कि जो इस अनुसूची एवं अनुसूची-1 में अन्यत्र उल्लिखित नहीं है वह 04% की दर से करयोग्य होगा। इसलिए कॉटन कोटेड फैब्रिक व कोटेड मेन-मेड फैब्रिक पर 04% की दर से करदेयता होगी। यही स्थिति दूसरे प्रश्न के सन्दर्भ में भी होगी और लेमीनेटेड कॉटन फैब्रिक 04% की दर से करदेय होगी। यह भी कहा कि प्रार्थी एक एसोसियेशन है, जो पंजीकृत नहीं है तथा जिनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत सर्वश्री आगरा इन्टरलाईनिंग टैक्सटाईल एसोसियेशन, 7 / 114, क्लॉथ मार्केट, संजय प्लेस, आगरा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं कर रही है और न ही किसी प्रकार से यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। एसोसियेशन निश्चित रूप से विधिक व्यक्ति (Legal person) हो सकता है, परन्तु जब तक person or dealer concerned in U.P. VAT Act न हो तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। चूंकि प्रश्नगत एसोसियेशन person or

सर्वश्री आगरा इन्टरलाईनिंग टैक्सटाईल एसोसियेशन / प्रा० पत्र सं-०१७१ / ०८ / धारा-५९ / पृष्ठ-२

dealer concerned नहीं है अतः वह प्रश्न नहीं पछ सकती है। प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि तार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है:-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

- (क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ड) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है- तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिशनर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

इस प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। सर्वश्री आगरा इन्टरलाइनिंग टैक्सटाइल एसोसियेशन, 7 / 114, क्लॉथ मार्केट, संजय प्लेस, आगरा द्वारा स्वयं में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अतः उक्त एसोसियेशन प्रश्न नहीं पूछ सकती है, इसलिए धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 सितम्बर 2013

20 / 02 09 2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
तार पदेश लखनऊ।